राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःF26(4)(34)ब.घो.–158/IEC/ICDS/17-18/ 44522–859 जयपुर दिनांक : 22-3-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

विषयः– बजट घोषणा –158 के क्रम आंगनबाडी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए राजसीको द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री के प्रमाण पत्र बाबत।

सन्दर्भः–इस निदेशालय का पत्रांक 176794–77131 दिनांक 10.11.2017, पत्रांक 9293–9630 दिनांक 11.01.2018 एवं 22375–407 दिनांक 05.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि वे अपने जिलें में राजसीको द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की जिला स्तर पर जांच समिति/समितियॉ बनाकर उसकी जांच करायें। जांच समिति एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जिसे संकलित कर जांच रिपोर्ट उपनिदेशक द्वारा निदेशालय को भिजवायी जानी थी। जो शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में जिन परियोजना कार्यालय में राजसीको द्वारा आपूर्ति की गई प्री स्कूल सेटअप सामग्री (छोटी स्टील अलमारी, टेबल व कुर्सी) प्रासंगिक विभागीय दिशा–निर्देशानुसार स्पेशिफिकेशन अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक पायी गयी है तो उसका प्रमाण पत्र अपने जिले के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त कर शीघ्र ही ई–मेल ecerajasthan2017@gmail.com पर करवाना सुनिश्चित करावें। प्रमाण पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(34)ब.घो.–158/IEC/ICDS/17-18/ 44860–62 जयपुर दिनांक : 22-3-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, ...

कमांक.........................   दिनांक

आयुक्त महोदया,

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

निदेशालय, जयपुर।

विषयः– बजट घोषणा –158 के क्रम आंगनबाडी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए राजसीको द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री के प्रमाण बाबत।
सन्दर्भः–इस निदेशालय का पत्रांक 176794–77131 दिनांक 10.11.2017

महोदया,

उपरोक्त विषयानतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजसीको द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म .... Challon No. .... Date .... आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत प्री स्कूल सेटअप सामग्री (छोटी स्टील अलमारी, टेबल व कुर्सी) निम्नानुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में विभागीय प्रासंगिक पत्र के स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्राप्ति हो चुकी है। प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	बाल विकास परियेाजना अधिकारी कार्यालय का नाम	प्री स्कूल सेटअप सामग्री की संख्या (छोटी स्टील अलमारी, टेबल व कुर्सी)				स्थाई स्टॉक रजिस्टर का पृष्ठ क्रमांक जिसमें सामग्री का इन्द्राज किया गया हैं।	सामग्री प्राप्ति की दिनांक
		छोटी स्टील अलमारी	टेबल	कुर्सी	योग		

उपरोक्त सामग्री विभागीय दिशा–निर्देशानुसार स्पेशिफिकेशन अनुसार प्राप्त हुई है।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला..

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(2)ब.घो.–158/IEC/ICDS/17-18/ 178794–77131 जयपुर दिनांक : 10-11-2017

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषयः– बजट घोषणा –158 के क्रम आंगनबाडी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए4 सामग्री वितरण बाबत।
सन्दर्भः–इस निदेशालय का पत्रांक 90134–470 दिनांक 12.06.2017 एवं 101410–714 दिनांक 05.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र दिनांक 12.06.2017 के क्रम में इस वर्ष 2017–18 में प्रत्येक शहरी परियोजना के प्रत्येक सैक्टर से 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा ग्रामीण परियोजनाओं में प्रत्येक सैक्टर से 06 आंगनबाडी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। समस्त परियोजनाओं से प्री स्कूल सेटअप के लिए आंगनबाडी केन्द्रों का नाम पूर्व में प्रस्तावित करके भेजे गये थे। इन आंगनबाडी केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार अधिकतम एक स्टील अलमारी, कार्यकर्ता टेबल, कार्यकर्ता कुर्सी की सामग्री का वितरण परियोजना स्तर से आंगनबाडी केन्द्रों पर कराया जाना है।

निदेशालय से राजसिको के माध्यम से परियोजना स्तर आपूर्ति के लिए कार्यादेश प्रदान किया जा चुका है। राजसिको के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार है :–

S.	Description of Items	Minimum Specifications
1.	Steel Almirah (Small)	1. Size - 1280x760 x430mm 2. Weight - 38 kg
2.	Chair with continues arm. (Handle of teak wood)	1. Size - 900x450x400 mm 2. Weight - 6.00 kg. (excluding wooden seat, backre st & arms)
3.	Tubular steel Table for Office purposes with particle board of laminated sun mica ISI Mark 25 MM thickness	1. Size - 1220x710x760mm 2. Top- 1220x710x25mm 3. Frame 1020x550x735mm 4. Weight - 22.85 kg (excluding Top)

आपके जिले की परियोजनाओं में आपूर्ति की जाने वाली स्टील अलमारी, कार्यकर्ता टेबल, एवं कार्यकर्ता कुर्सी की संख्या का विवरण परिशिष्ठ –'अ' पर संलग्न है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं में चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करते समय तथा आगे आंगनबाडी केन्द्रों पर भेजते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावें :–

1. विभाग द्वारा हालही में आदर्श आंगनबाडी अभियान के तहत परियोजनावार आंगनबाडी केन्द्रों का चयन किया गया है। **प्री स्कूल सेटअप सामग्री का वितरण करते समय चयनित आदर्श आंगनबाडी केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जानी है।** जिन केन्द्रों पर सही स्थिति में सामग्री में पहले से उपलब्ध है, वहां सामग्री की आपूर्ति नहीं की जानी है।
2. आपूर्ति किया जाने वाला स्टील फर्नीचर, राजसीको द्वारा जारी निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए। स्टील फर्नीचर की आपूर्ति से पूर्व उसका मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कराया जायेगा तथा प्रत्येक फर्नीचर पर जांच में सही पाये जाने का हॉलोग्राम निरीक्षण के पश्चात् लगाया जायेगा। यह कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा कराया जाना है। अतः सामग्री प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करे कि सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार है।

3. स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में कार्यादेश दिनांक 29.09.2017 से 75 दिवस के भीतर की जानी है। सामग्री आपूर्ति में विलम्ब होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामग्री प्राप्त होने का प्राप्ति चालान आपूर्तिकर्ता को प्राप्ति दिनांक अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जाना है। सामग्री की नियमानुसार स्टॉक एन्ट्री सुनिश्चित की जावें।
4. सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर निदेशालय को अवगत करावें ताकि विभाग नियमानुसार कार्यवाही कर सकें।
5. सामग्री का परिवहन परियोजना स्तर से आंगनबाडी स्तर तक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कराया जाना है। जिसके लिए प्रति सेक्टर राशि रू. 1000/– की दर से बजट जारी किया जा रहा है। बजट आवंटन का विवरण परिशिष्ठ –'ब' पर संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(शुचि शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(2)ब.घो.–158/IEC/ICDS/17-18/ 177132–136 जयपुर दिनांक : 10-11-2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
3. वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार परियोजनाओं को (72--आधुनिकीकरण, सृद्वढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय (राज्य निधि) बजट मद से बजट आवंटन कराने का श्रम करावें।
4. प्रबंधन निदेशक, राजस्थान लघु उघोग कॉरपोरेशन, उद्योग भवन, जयपुर, राजस्थान।
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर